



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8294

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43284 वर्ष 2025

गजराज लोधी और अन्य

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अनुपम द्विवेदी, आशुतोष कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-

आवेदकों गजराज लोधी और संदीप लोधी की ओर से दायर की गई है, जिसमें अवर न्यायालय में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुकुदमे की सुनवाई के दौरान मुकुदमा अपराध संख्या 195/2025, धारा 318 (4), 308 (2), 351 (2), 338, 336 (3), 340 (2), 204 भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी (पुनरीक्षण) अधिनियम की धारा 67ए, 66डी, 66ई के तहत मामले में जमानत की मांग की गई है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष हैं। उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वे 24.8.2025 से जेल में बंद हैं। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष ने उन गवाहों से पूछताछ नहीं की है जिन्हें आवेदकों ने व्हाट्सएप कॉल करके धोखा दिया था। अभियोजन पक्ष ने आवेदकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित धन लेनदेन का कोई सबूत भी एकत्र नहीं किया है। इस मामले में आरोपपत्र पहले ही 15.10.2025 को दाखिल किया जा चुका है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उनके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त मामले में आरोपित-आवेदकों, **गजराज लोधी और संदीप लोधी** को, उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल होने पर, न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें डराएंगे नहीं और मुकदमे में सहयोग करेंगे।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उनके अधिवक्ता के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उनकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

13 जनवरी 2026

रवि प्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।